

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 26, मंगलवार, शाके 1947- मार्च 17, 2026 Phalguna 26, Tuesday, Saka 1947- March 17, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अधिसूचना

अलवर, जनवरी 23, 2026

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यूआईटी/आवंटन/भू.उप.परि./2026/12311-14:-श्री क्षितिज रूहैल पुत्र श्री आजाद सिंह रूहैल निवासी आर.जेड.-13 रोशन मण्डी, नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली-110043 के द्वारा खसरा नं0 1499 ग्राम सिरमौली तह0 व जिला अलवर का क्षेत्रफल 9600 वर्गमीटर भूमि को परिधि नियंत्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मास्टर प्लान 2051 के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र (उपान्त पट्टी) उपयोग है। प्रकरण को राज्य स्तरीय समिति में भिजवाया गया। परिधि नियंत्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन पत्रांक टी.पी.आर.1120/एसएलसी/न.वि.न्या.अलवर/05/2023-00366 दिनांक 23.01.2025 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

समिति के निर्णय अनुसार खसरा नं0 1499 का कुल क्षेत्रफल 9600 व.मी. में से 290 व.मी. भूमि सड़क भाग में समर्पित करते हुये शेष भूमि 9310 व.मी. के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन के मध्य राशि 1,09,11,820/-रु0 जर्ने रसीद सं0 3449/04 एवं बी.एस.यू.पी. राशि 2,32,750/-रु0 जर्ने रसीद सं0 3443/28 दिनांक 08.01.2026 के द्वारा जमा करा दिये गये हैं। अतः शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन निम्न शर्तों के साथ करने का निर्णय लिया गया :-

01. नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 73ख की उप धारा (3) के तहत कृषि भूमि का मास्टर प्लान में एवं पट्टाशुदा भूमि का पट्टे में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन आदेश का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः तदनुसार कार्यवाही कराई जावे।
02. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए का आवेदन 90 दिवस में करना आवश्यक होगा अन्यथा भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

03. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसूचना दिनांक 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।
04. यह केवल मात्र आवेदित भूमि भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकृति, इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
05. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेशों की सभी शर्तें मान्य होगी।
06. राज्य-सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत अन्य कोई शुल्क हो तो जमा करावे।
07. नियमानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृत कराकर पट्टा प्राप्त करना होगा।

स्नेहल धायगुडे नाना,

सचिव,

नगर विकास न्यास, अलवर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।